

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, पैजाबाद ।

जितेन्द्र प्रताप सिंह — नाम — सरका  
धारा-143 ज० वि० अधिनियम  
ग्राम-अकमा परगना-खण्डासा  
तहसील-मिल्कीपुर, पैजाबाद ।  
बाद संख्या-24

**आदेश**

ग्रामगत बाद जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्रीराम कैलाश सिंह प्रस्ताव  
कमल कैलाश टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अकमा खण्डासा नारा प्रस्ताव किया ग  
जिसमें कहा गया है, कि ग्राम-अकमा की गाटा संख्या-728/0.080 हे. में से  
रकबा 0.080 हे. गाटा संख्या-729/1.274 में से 0.273 हे. गाटा संख्या-7  
रकबा 0.054 हे. का करिये बैनामा संग्रामीय भूमिधर है । जिनके मूख्यतः 3  
प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है । कृषि कार्य नहीं हो रहा है ।  
में अकृषि भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है । तदनुसार ये अनु  
धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार मिल्कीपुर से आवेदन किया गया है । जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार  
मिल्कीपुर से आवेदन किया गया है । तदनुसार मिल्कीपुर की अकमा  
दिनांक 7-6-12 के अनुसार ग्राम अकमा की गाटा संख्या-728/0.080 हे. गा  
संख्या-729/1.274 हे. व गाटा संख्या-728/0.080 हे. कुल तीन वि  
रकबा 0.367 हे. जो कमल कैलाश ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अकमा प्रस्तावक जितेन्द्रप  
सिंह पुत्र राम कैलाश सिंह के नाम संग्रामीय भूमिधर अंकित है । वर्तमान सभ  
में अकृषि भूमि निर्माणाधीन है, जो अकृषि भूमि घोषित किये जाने योग्य  
है । कृषि भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

अतः तहसीलदार मिल्कीपुर की अकमा दिनांक 7-6-12 स्वीक  
रकबा 0.080 हे. व 729/1.274 हे. व 730/0.080 हे. कुल तीन  
दिना संख्या 0.367 हे. जो कमल कैलाश ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अकमा प्रस्तावक  
जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम कैलाश सिंह के नाम संग्रामीय भूमिधर अंकित है  
को अकृषि भूमि घोषित किया जाता है । तदनुसार परवाना प्रस्तावक को  
हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पर्यावर्तन पराजिल कम्प्लैट हो

दिनांक: 15.06.2012

उप जिलाधिकारी  
मिल्कीपुर, पैजाबाद ।

4000  
Principal  
Kalesh College of Pharmacy  
Pharmaceutical Sciences Annex  
Karnal-20131

27-7-14

Manag  
Ram Kalash Sahan Ex  
1147 Kahr  
Near J.S. Maada  
Apariya